झारखण्ड सरकार

# वाणिज्य–कर विभाग

पत्र संख्या– वा0क0 / कम्प्यु / 09 / 2012 – 57 / राँची, दिनांक – 7/1/14

प्रेषक,

मस्त राम मीणा,
सचिव–सह–आयुक्त।

सेवा में,

सभी वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) / (वैट ऑडिट) / (अपील),
सभी वाणिज्य–कर अंचल प्रभारी।

विषयः– झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 3B के अधीन प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियम 42 (2) के अधीन ऑनलाईन निर्गत **SUGAM G, SUGAM B** तथा **SUGAM P** के ऑनलाईन रद्दीकरण के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय परिपत्र संख्या–3656 दिनांक 29.11.2012 (**SUGAM G**), 2624 दिनांक 20.05.2013 (**SUGAM B**), पत्रांक 5241 दिनांक 25.09.2013 (**SUGAM P**) एवं 1305 दिनांक 02.03.2013

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक परिपत्रों द्वारा झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006 के नियम 3B के अधीन प्रदत्त शक्ति के आलोक में नियम 42 (2) के अधीन विभिन्न घोषणा पत्रों (JVAT 504G, JVAT 504B एवं JVAT 504P) का ऑनलाईन निर्गमन प्रारंभ किया गया है। साथ ही, उक्त घोषणा पत्रों क्रमशः **SUGAM G, SUGAM B एवं SUGAM P** के रूप में नामांकित किया गया है। विभागीय परिपत्र संख्या 1305 दिनांक 02.03.2013 द्वारा JVAT 504 G के रद्दीकरण हेतु अर्द्धस्वचालित प्रकिया विहित की गयी है। उसी क्रम में तीनों प्रकारों के **SUGAM (SUGAM G, SUGAM B या SUGAM P)** के पूर्ण ऑनलाईन रद्दीकरण की योजना **दिनांक 09.01.2014** के प्रभाव से प्रारंभ की जाती है जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् हैः–

**DEALER END -**

1. व्यवसायी द्वारा होमपेज पर जाकर प्राप्त **ID/Password** की सहायता से **Login** करना है।
2. SUGAM के **Option** से आवश्यकतानुसार **SUGAM G, SUGAM B या SUGAM P** को **click** करना है।
3. **Click** करने के उपरांत **'Apply for Cancellation'** के **Option** में जाकर **"Add Requisition Button"** को **click** करना है।
4. संबंधित **SUGAM Generation** के उपरांत **Online Cancellation Requisition** हेतु समय–सीमा निम्नवत् निर्धारित की गयी है :–

   SUGAM G - तीन दिन (72 घंटे)
   SUGAM B- दो दिन (48 घंटे)
   SUGAM P- दो दिन (48 घंटे)

   **उक्त समय–सीमा के उपरांत व्यवसायी Online Cancellation के लिए Requisition नही कर सकते हैं।**

5. **SUGAM 'B'** एवं **'P'** के लिए **Active Permit Status** एवं **SUGAM 'G'** के लिए **Accepted Permit Status** के रद्दीकरण हेतु आवश्यकतानुसार **SUGAM No.** का चुनाव करते हुए **SUGAM Button** को **click** करना है। साथ–साथ अंचल में **Indeminity Bond (JVAT 122), Physically** जमा करना अपेक्षित है।
6. **SUGAM Cancellation** के लिए चुने गये **SUGAM** की संख्या देने के उपरांत **Cancellation** के कारण का उल्लेख करना है।

7. तदोपरांत Apply now के Button को click करते हुए रद्दीकरण का कारण लिखना है।
8. System द्वारा Cancellation के पूर्व एक Alert देते हुए पृच्छा होगी कि क्या व्यापारी उक्त SUGAM को Cancel करना चाहते हैं? व्यवसायी के OK करने पर संबंधित SUGAM G, SUGAM B एवं SUGAM P के Cancellation Application की प्रकिया पूरी हो जाएगी।

**INCHARGE END -**

1. अंचल प्रभारी द्वारा SUGAM G, SUGAM B एवं SUGAM P के Menu में जाकर Cancellation List को Click करना है।
2. Cancellation List की सूची में उपलब्ध Icon "View & Approve" को click करना है।
3. संबंधित अंचल प्रभारी द्वारा अपना Remarks देते हुए Approve करना अपेक्षित है। Approve करने के पूर्व अंचल में Indeminity Bond प्राप्ति को सुनिश्चित कर लेना है।
4. System द्वारा Cancellation के पूर्व एक Alert देते हुए पृच्छा होगी कि क्या अंचल प्रभारी उक्त SUGAM को Cancel को recommend करते हैं ? अंचल प्रभारी के OK करने पर संबंधित SUGAM G, SUGAM B एवं SUGAM P के Cancellation/recommendation की प्रकिया पूरी हो जाएगी। अंचल प्रभारी द्वारा Cancellation हेतु प्राप्त ऐसे आवेदनों को तीन दिनों की अवधि में 'recommend' करना अपेक्षित है।

**JOINT COMMISSIONER (Adm.) END**

1. संयुक्त आयुक्त (प्रशासान) द्वारा SUGAM G, SUGAM B एवं SUGAM P के Menu में जाकर Cancellation List को Click करना।
2. Cancellation List की सूची में उपलब्ध Icon "View & Cancel" को click करना।
3. संबंधित संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को Remarks देते हुए "Cancel Now" के button को click करना।
4. System द्वारा Cancellation के पूर्व एक Alert